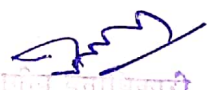


प्रारूप - 14परियोजना का नाम - भटाड पेयजल योजनावैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है, व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित 0.067 हे० वन भूमि की मांग न्यूनतम है, व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।

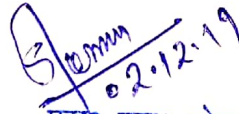

अधिसासी अभियन्ता,
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
प्रयोक्ता, मियेरपुर न०-1

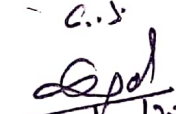

प्रभागीय वन अधिकारी
चक्रा ४०/-
प्रभागीय वनाधिकारी

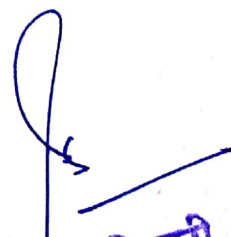

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
चक्रा ४०/-
जिलाधिकारी


वन क्षेत्र अधिकारी जयपुर


वन क्षेत्राधिकारी
बावर रेंज
चिल्हाड / कण्डोला


एस० एस० तोमर
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र/थाना दे०/१२
तहसील दे०/१२


10/01/2020
तहसीलदार उप
त्यूनी
जिलाधिकारी
कलसी


जिलाधिकारी
देहगढ़न